

राजस्थान विधान सभा
सप्तम सत्र
कार्य-सूची
शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्थ

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्थ सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/10-166 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा आई.पी.एल क्रिकेट के 7 मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-167 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-168 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51-ए के अन्तर्गत डीलरों को वर्ष 2009-2010 को पूर्ण कर जमा कराने पर 31.3.2011 तक ब्याज और शास्ति पर छूट प्रदान की गई है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-01 दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 में संशोधन किया गया है;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-02 दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-58 दिनांक 3.11.09 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(71)एफडी/टैक्स/10-05 दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा मैसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड को जिला बारां के कवाई में पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु माल के प्रवेश कर में छूट दी गई है;

जारी-2

- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)एफडी/टैक्स/2011-06 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)एफडी/टैक्स/2011-07 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/2011-08 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/2011-09 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)एफडी/टैक्स/09-10 दिनांक 21.4.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑथोराइज्ड शेयर केपिटल बढ़ाने पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(97)एफडी/टैक्स/2010-11 दिनांक 25.4.2011 जिसके द्वारा माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज को देय स्टाम्प ड्यूटी को निष्पादित किया गया है;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-13 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वन्डर सीमेन्ट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को स्थापना से 7 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत विद्युत उपभोग में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-14 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वन्डर सीमेन्ट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में भूमि क्रय लीज हेतु सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-15 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वन्डर सीमेन्ट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को वाणिज्यिक उत्पादन से 7 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत देय भूमि कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.2(21)एफडी/टैक्स/2011-16 दिनांक 16.5.2011 जिसके द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.7(8)एफडी/टैक्स/2011-17 दिनांक 16.5.2011 जिसके द्वारा एडीशनल डायरेक्टर, एसडीआरआई को कलक्टर, स्टाम्प नियुक्त किया गया है;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(69)एफडी/टैक्स/2010-पार्ट-18 दिनांक 17.5.2011 जिसके द्वारा राजस्व ब्यूरो के राज्य निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों को निर्धारण प्राधिकारी के रूप में कतिपय शर्तों के अध्याधीन शक्तियाँ प्रदान की गई है;

- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(38)एफडी/टैक्स/2008-19 दिनांक 27.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स सैन्ट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड, भिवाड़ी को परियोजना स्थापित करने के लिये माल के प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.2(53)एफडी/टैक्स/10-20 दिनांक 31.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की स्व-वित्त पोषित योजना (एसएफएस) के तहत स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(8)एफडी/टैक्स/2010-21 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वन्दर सीमेन्ट लिमिटेड, ग्राम-भाटकोटरी, निम्बाहेड़ा को परियोजना स्थापित करने के लिये माल के प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(8)एफडी/टैक्स/2011-22 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वन्दर सीमेन्ट लिमिटेड, ग्राम-भाटकोटरी, निम्बाहेड़ा को वाहनों पर देय प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.12(65)एफडी/टैक्स/2011-23 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-150 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-24 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-25 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-26 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा रजिस्टर्ड डीलर द्वारा हाई और लाईट स्पीड डीजल की बिक्री पर देय कर में रुपये 0.54 प्रति लीटर की छूट प्रदान की गई है;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)एफडी/टैक्स/09-27 दिनांक 6.7.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को शेयर सर्टिफिकेट राशि 99.16 करोड़ में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)एफडी/टैक्स/11-28 दिनांक 6.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-157 दिनांक 9.3.2007 में संशोधन किया गया है;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.7(17)एफडी/टैक्स-डीवी/2011-पार्ट-31 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-96 के अन्तर्गत कर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.7(17)एफडी/टैक्स-डीवी/2011-पार्ट-32 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.2(23)एफडी/टैक्स/2011-33 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाइसेंसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट राईटर्स) रूल, 1956 में संशोधन किया गया है;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.5(31)एफडी/टैक्स/2011-34 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)एफडी/टैक्स/06-35 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-141 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)एफडी/टैक्स/2004-36 दिनांक 5.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है; एवं
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)एफडी/टैक्स/2004-37 दिनांक 5.8.2011 जिसके द्वारा 1.1.2005 से 6.7.2010 तक की कालावधि के लिये कृषि गैर-मीटर प्रदाय उपभोक्ताओं द्वारा संदेय विद्युत शुल्क को उस सीमा तक, जिस तक वह रूपये 4.25 प्रति हॉर्स पावर/मास से अधिक हो, कम किया गया है।

II - श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/2005/7 दिनांक 26.4.2011 जिसके द्वारा विभागीय आदेश एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)राज-6/2004-पार्ट/13 दिनांक 19.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(68)राज-6/10/14 दिनांक 20.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/15 दिनांक 13.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(14)राज-6/95/16 दिनांक 25.7.2011 जिसके द्वारा विभिन्न सहायक वन संरक्षकों को तहसीलदार की वन विभाग की भूमि पर अप्राधिकृत अभियोग के संबंध में समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/1992-पार्ट/16 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम, 2007 में परिवर्तन किया गया है;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(13)राज-6/2010/17 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है; एवं
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(13)राज-6/2010/18 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(2)राज/6/91/24 दिनांक 4.11.92 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है।

श्रम एवं नियोजन विभाग

III- मा० भंवरलाल मेघवाल, श्रम एवं नियोजन मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.13(23)श्रम/विधि/2009 दिनांक 1 मार्च, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे।

पंचायती राज विभाग

IV- श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/825 दिनांक 11.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(8)एम/रूल/लीगल/पीआर/10/1223 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (स्थानान्तरण गतिविधियाँ) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है; एवं
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/1348 दिनांक 12.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

आबकारी विभाग

V- श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार लाइसेन्स) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार लाइसेन्स) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान नारकोटिक ड्रग एण्ड साइकोट्रोपिक सब-स्टैंसेस रूल, 1985 में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा शोधित प्रासव से बनाई जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई है;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2008-पार्ट-II दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.7(3)एफडी/एक्स/11 दिनांक 11.5.2011 जिसके द्वारा आबकारी अधिकारियों को कतिपय धाराओं के अन्तर्गत निदेशक रेवेन्यू इन्टीलीजेन्स विभाग में कार्यरत रेवेन्यू इन्टीलीजेन्स अधिकारी को भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011 दिनांक 20.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011 दिनांक 20.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को शोधित प्रासव/ई.एन.ए. आयात किये जाने में अन्य राज्यों की तुलना में दरों में कमी की गई है; एवं
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.11(28)एफडी/एक्स/2010 दिनांक 30.6.2011 जिसके द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों का जिला मुख्यालय एवं राजस्व जिले का निर्धारण किया गया है।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

बीना काक, पर्यटन मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगी।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।
- (II) श्री श्रवण कुमार, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2011-2012 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।
- (III) श्री प्रकाश चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2011-2012 समिति के अष्टम एवं नवम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के अठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अठारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2011-2012 (प्रथम संकलन) एवं वर्ष 2006-2007 के लिये अतिरेक की मार्गों पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2011-2012 (प्रथम संकलन) एवं वर्ष 2006-2007 के लिये अतिरेक की मार्गों मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग(संख्या-4)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-18)

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

- राजस्थान विनियोग(संख्या-3)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-17)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(3) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

- राजस्थान राजवित्तीय
उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध
(द्वितीय संशोधन)विधेयक,2011
(2011 का विधेयक संख्या-25)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(4) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम
परिवर्तन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-28)
- (I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियाँ), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार

कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार होगा।

**सीताराम सोनवाल
उप सचिव (सामान्य)**

**विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 अगस्त, 2011**

नोट – प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।